



कार्यालय, अनुमण्डल पदाधिकारी/दण्डाधिकारी, मसौढ़ी (पटना)

दूरभाष सं०-06122434246 (का०)

(गोपनीय शाखा)

patna.nic.in

बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम-2016 के तहत राज्यसात किये गये वाहनों की सार्वजनिक नीलामी हेतु अल्पकालीन सूचना विज्ञप्ति संख्या-12/2020

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम-2016 एवं (संशोधित) अधिनियम 2018 के तहत मसौढ़ी अनुमण्डल अन्तर्गत विभिन्न थाना द्वारा दर्ज उत्पाद काण्डों में जप्त वाहनों की अधिहरण हेतु अनुशंसा प्रस्ताव के आलोक में समाहर्ता एवं जिला दंडाधिकारी द्वारा निम्न अधिहरण वादों में राज्यसात किये गए वाहनों का आम नीलामी (Public Auction) "जहाँ है जिस स्थिति में है" के आधार पर निर्दिष्ट शर्तों के अधीन दिनांक 12.12.2020 को मसौढ़ी अनुमण्डल सभागार कक्ष में पूर्वाहन समय:- 12:00 बजे पूर्वाहन/अपराहन में किया जाएगा। यदि किसी कारणवश निर्धारित तिथि को नीलामी प्रक्रिया सम्पन्न नहीं होती है तो उसके अगले कार्यदिवस (14.12.2020) को पूर्व निर्धारित समयानुसार आम नीलामी किया जायेगा। इच्छुक व्यक्ति संबंधित थाना में वाहनों का अवलोकन कर सकते हैं।

क्र० सं०	अधिहरण वाद सं०	थाना काण्ड सं०	वाहन का प्रकार	वाहन का निबंधन सं०	मूल्यांकित राशि
1	2068/18-19	पिपरा थाना काण्ड संख्या-42/18	मोटरसाईकिल	BR0-1X-7228	25,00 /-
2	2638/18-19	पुनपुन थाना काण्ड संख्या-223/17	टाटा इंडिका	HR-29T-0811	13,000 /-
3	4251/18-19	पिपरा थाना काण्ड संख्या-28/19	मारुति जेन कार	BR-2A-7781	11,000 /-
4	2658/18-19	भगवानगंज थाना कांड संख्या-38/18	मोटरसाईकिल	BR-1Y-2500	25,00 /-
5	3946/18-19	पिपरा थाना कांड संख्या-20/19	मोटर साईकिल	BR-01CH-6244	13,000 /-
6	1308/18-19	रेल थाना जहानाबाद कांड संख्या-57/16	टेम्पु	Chesis no- MBX0000ZHRD68 4333 Engine No.- R3C3206959	15,000 /-
7	1423/19-20	पिपरा थाना कांड संख्या-93/19	मोटरसाईकिल	BR-01DP-3316	16,000 /-
8	2431/18-19	पुनपुन थाना कांड संख्या-339/18	इंडिका कार	BR-01AL-4564	21,000 /-
9	1141/19-20	पिपरा थाना कांड संख्या-73/19	मोटरसाईकिल	BR-01DF-4810	16,000 /-
10	2817/19-20	मसौढ़ी थाना कांड संख्या-689/19	मोटरसाईकिल	BR-01DX-7162	27,000 /-
11	2134/19-20	पुनपुन थाना कांड संख्या-81/19	टेम्पु	BR-01PH-3485	14,000 /-

**नीलामी की शर्त :-**

- (1) नीलामी में भाग लेने वाले व्यक्तियों को आधार कार्ड/मतदाता पहचान पत्र की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति अनिवार्य रूप से जमा करना होगा।
- (2) नीलामी में भाग लेने वाले व्यक्तियों को डाक प्रारंभ होने के पूर्व वाहन का न्यूनतम मूल्यांकित राशि का 25% नकद जमानत राशि अनुमण्डल नजारत शाखा, मसौढ़ी में जमा करना होगा, जिसे नीलामी में सफल व्यक्ति का अग्रधन राशि नीलामी की तय राशि में समायोजित कर ली जायेगी तथा अन्य असफल व्यक्तियों को जमा अग्रधन की राशि वापस कर दी जायेगी।
- (3) नीलामी में सफल व्यक्तियों को नीलामी की तय राशि का 50% राशि उसी दिन जमा करना होगा एवं शेष आधी राशि 03 कार्यदिवसों के अंदर अनुमण्डल कार्यालय, मसौढ़ी के नजारत, शाखा में नाजीर रसीद के माध्यम से जमा करना होगा, अन्यथा अग्रधन की राशि जप्त कर नीलामी रद्द कर दी जायेगी।
- (4) सफल डाकवक्ता को वाहन का निबंधन कराने के निमित्त मात्र नीलामी कर दिये जाने का अधिकार पत्र निर्गत किया जायेगा। वाहन संबंधी कागजात बनाने की जिम्मेदारी नीलामी प्राप्त करने वाले क्रेता की होगी। वाहन का पूर्व से निबंधित कागजात देने के लिए विज्ञापनदाता/निलामकर्ता बाध्य नहीं होगी तथा वाहन को सभी प्रकार के भार (Free of all encumbrances) से मुक्त मानते हुये नीलामी की जाएगी।
- (5) अधिकतम डाक बोलने वाले व्यक्ति को ही पूर्ण भुगतान के पश्चात् वाहन नीलामी कर दिये जाने मात्र का अधिकार पत्र निर्गत किया जायेगा। नीलामी में सफल डाकवक्ता/क्रेता को नियमानुकूल सभी देय करों का भुगतान करना होगा।
- (6) न्यायालय से आच्छादित मामलों के संज्ञान में आने पर अथवा बिना कारण किसी भी वाहन या सभी वाहनों की नीलामी रद्द करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित रहेगा।
- (7) नीलामी संबंधी विस्तृत जानकारी कार्यालय के सूचना पट्ट अथवा पटना जिला के अधिकृत वेबसाईट पर देखा जा सकता है।

Patna 22.11.20  
अनुमण्डल पदाधिकारी,  
मसौढ़ी।